[16/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 3968] परिशिष्ट "अ" (1) (5)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक कटनी जिला कटनी (म0प्र0)

क्र0 [illegible]0 / कटनी / आ0प्र0 / 17 / 2024 दिनांक– 28 / 06 / 2024

प्रति

उप पुलिस अधीक्षक (शिकायत)
पुलिस मुख्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश

विषय विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 3968 द्वारा माननीय विधायक श्री हेमंत कटारे।

संदर्भ आपका पत्र क0 / पुमु / शिका / विसभा / अतारांकित प्रश्न क0 3968 / 24 दिनांक 26.06.24

---000---

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 3968 द्वारा माननीय विधायक श्री हेमंत कटारे के प्रश्न के संबंध में जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है:–

प्रश्न कमांक (क):– फरवरी 2024 में सूर्योदय बैंक कटनी में खुलवाये गये बैंक खातों में करोडो रूपये का लेन देन संबंधी शिकायत कटनी पुलिस को ग्रामीणों के माध्यम से प्राप्त हुई थी ? यदि हॉ क्या उक्त संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया, यदि हॉ तो किन धाराओं में अपराध के आरोपियों का नाम पता सहित पूर्ण विवरण दिया जाए।

उत्तर – 25 जनवरी 2024 में ग्राम गैतारा थाना माधवनगर जिला कटनी के ग्रामीणों द्वारा सूर्योदय बैंक कटनी में खुलवाये गये बैंक खातों के संबंध में शिकायत की गई थी, कि उन्ही गॉव के विवेक पटेल पिता श्री राकेश पटेल द्वारा हमारे खाते सूर्योदय बैंक कटनी में खुलवाये गये थे। खुलवाये गये खातों में हुये लेन–देन के संबंध में खाताधारकों ने स्वयं को कोई जानकारी नहीं होना बताया। उक्त शिकायतों की जॉच की जा रही थी, इसी दौरान उक्त खाता धारकों के अतिरिक्त शाखा प्रबंधक सूर्योदय बैंक कटनी अंकिता गुप्ता द्वारा भी दिनांक 01 फरवरी 2024 को इस आशय से थाना माधवनगर कटनी में शिकायत की गई कि विवेक पटैल पिता राकेश पटैल निवासी ग्राम गैतरा कटनी, दुर्गेश यादव निवासी शाहनगर पन्ना एवं अन्य खाता धारकों के द्वारा बैंक में खाता खुलवा कर उक्त खातों का दुरूपयोग करके गैर कानूनी काम, धोखधडी कर पैसे का अवैध लाभ अर्जित किया गया है।

शाखा प्रबंधक सूर्योदय बैंक कटनी अंकिता गुप्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र के आधार पर थाना माधवनगर कटनी में अपराध कमांक 71 / 24 धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया एवं ग्रामीणो के द्वारा की गई शिकायतों को अपराध की केस डायरी में सलग्न कर विवेचनाधीन किया गया है। अपराध की विवेचना दौरान 11 आरोपियों को गिरफतार किया गया है, जिनके नाम / पते निम्नानुसार है:–

1. विवेक पटेल पिता राकेष पटेल निवासी ग्राम गैतरा थाना माधवनगर जिला कटनी
2. दुर्गेष यादव पिता प्रमोद यादव उम्र 23 नि0 शाहनगर जिला पन्ना
3. रामप्रकाष विष्वकर्मा पिता नारायण प्रसाद उम्र 22 नि0 खमतरा शाहनगर पन्ना
4. लावन्य पाल पिता मनोज उम्र 21 नि0 धनवंतरी नगर थाना गढा जबलपुर
5. कमल केषवानी पिता मनोज उम्र 21 नि0 दमोहनाका गोहलपुर जबलपुर
6. रोहित नामदेव पिता विजय उम्र 23 नि0 षिवम राय पिता उस्ताज प्रसाद उम्र 19 नि0 राम मंदिर के सामने खमतरा शाहनगर
7. अजय बजाज पिता मंगाराम उम्र 42 नि0 बीना सागर
8. राहुल आसवानी पिता बब्लू आसवानी उम्र 24 नि0 मालगुजार परिसर गोहलपुर जबलपुर
9. धर्मेन्द्र वर्मा पिता षिवकुमार उम्र 23 नि0 शाहनगर पन्ना
10. विपुल जैन पिता अखिल जैन उम्र 21 नि0 फूटा ताल थाना ओमती जबलपुर
11. शिवम राय पिता उस्ताद राय उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खमतरा शाहनगर पन्ना जिला पन्ना म प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल.

उ.पु.अ. (शिकायत)
पु.मु., भोपाल.

Scanned with CamScanner

(6)

प्रश्न क्रमांक (ख):- क्या शिकायत जॉच मे उक्त खाते किसी ऑनलाईन वेंटिग प्लेटफार्म द्वारा खुलवाये जाना पाया गया था ? यदि हॉं तो शिकायत जॉच किसे द्वारा की गई, ऑनलाईन वेंटिग प्लेटफार्म का तथा उसके मालिक का नाम क्या है ? मालिक को आरोपी क्यो नही बनाया गया, मालिक को बचाकर प्रकरण में खानापूर्ति करने हेतु कौन दोषी है प्रकरण में आज दिनाक तक किसकी गिर0 हुई है।

उत्तर:- अपराध विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यो के आधार पर यह पाया गया कि सूर्योदय बैंक कटनी में जो भी खाते खुलवाये गये है वह किसी ऑनलाईन वेंटिग प्लेटफार्म द्वारा नही खुलवाये गये है बल्कि उक्त खातों का उपयोग प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपियों द्वारा ऑनलाईन बेटिंग में किया गया है। पंजीबद्व अपराध की विवेचना वर्तमान मे प्रभारी सायबर सेल कटनी द्वारा की जा रही है। अपराध विवेचना में अभी तक ऐसे कोई तथ्य नही मिले है जिससे ऑनलाईन वेटिंग प्लेटफार्म के मालिक का नाम/पता हुलिया की जानकारी प्राप्त हो सकें। गिरफ्तारशुदा आरोपियो द्वारा स्वंय ही ऑनलाइन वेंटिग खिलाना बताया है। आरोपियों के नाम/पते निम्नानुसार है जो गिरफ्तार किये जा चुके है:-

1. विवेक पटेल पिता राकेष पटेल निवासी ग्राम गैतरा थाना माधवनगर जिला कटनी
2. दुर्गेष यादव पिता प्रमोद यादव उम्र 23 नि0 शाहनगर जिला पन्ना
3. रामप्रकाष विष्वकर्मा पिता नारायण प्रसाद उम्र 22 नि0 खमतरा शाहनगर पन्ना
4. लावन्य पाल पिता मनोज उम्र 21 नि0 धनवंतरी नगर थाना गढा जबलपुर
5. कमल केषरवानी पिता मनोज उम्र 21 नि0 दमोहनाका गोहलपुर जबलपुर
6. रोहित नामदेव पिता विजय उम्र 23 नि0 षिवम राय पिता उरताज प्रसाद उम्र 19 नि0 राम मंदिर के सामने खमतरा शाहनगर
7. अजय बजाज पिता मंगाराम उम्र 42 नि0 बीना सागर
8. राहुल आसवानी पिता बब्लू आसवानी उम्र 24 नि0 मालगुजार परिसर गोहलपुर जबलपुर
9. धर्मेन्द्र वर्मा पिता षिवकुमार उम्र 23 नि0 शाहनगर पन्ना
10. विपुल जैन पिता अखिल जैन उम्र 21 नि0 फूटा ताल धाना ओमती जबलपुर
11. शिवम राय पिता उस्ताद राय उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम खमतरा शाहनगर पन्ना जिला पन्ना म.प्र.

प्रश्न क्रमाक (ग):- क्या उक्त बैंक खाता खुलने से तीन माह में ही देश और प्रदेश की विभिन्न बैंकों से लगभग 10 करोड से अधिक की राशियों डाली जाकर उनकी निकासी सूर्योदय बैंक से की गई, यदि हॉ तो इस गंभीर मनीलान्ड्रिग संबंधी प्रकरण से जुडे पूरे सिंडीकेट के विरूद्व कटनी पुलिस द्वारा सार्थक कार्यवाही क्यों नही की गई, प्रकरण मे मात्र धोखाधडी की धाराओ से कार्यवाहियां करने के संबंध मे कौन दोषी है।
उत्तर:- उक्त बैंक खातों से राशि का आदान-प्रदान ऑनलाईन वैंटिग में गिरफ्तारशुदा आरोपियों द्वारा ही ऑनलाईन ट्रॉन्जेक्शन/यूपीआई पैंमेट द्वारा किया किया जाता था। उक्त सभी खातों को संबंधित बैंक के माध्यम से फ्रीज कराया जा चुका है। विवेचना के दौरान अभी तक मनीलाड्रिग संबंधी तथ्य प्राप्त नही हुये है, तथ्य प्राप्त होते ही आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न क्रमाक (घ):- खातो से राशि निकालने संबंधी व्यक्तियों के नाम पते सहित किसके द्वारा कितनी राशि निकाली गई आदि पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। क्या राशि निकालने वाले व्यक्तियो को चिन्हित कर कटनी पुलिस द्वारा उनके विरूद्व कार्यवाही की गई है, यदि हॉं तो क्या।
उत्तर- उक्त बैंक खातो से राशि का आदान-प्रदान ऑनलाईन वैंटिग में गिरफ्तारशुदा आरोपियों द्वारा ही ऑनलाईन ट्रॉन्जेक्शन/यूपीआई पैंमेट द्वारा किया किया जाता था।

प्रश्न क्रमाक (ड):- क्या इस प्रकार की और भी शिकायते प्रदेश में प्राप्त हुई है, यदि हॉ तो सभी शिकायतो की प्रतियॉं उपलब्ध कराए, क्या प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जॉच ई0डी0 अथवा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से करायी जायेगी।
उत्तर:- मुख्यालय स्तर पर।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

स.पु.म. (शिकायत)
पु.मु., भोपाल.

ग्रामीणो / शाखा प्रबंधक सूर्योदय बैंक कटनी द्वारा की गई शिकायत की छायाप्रति।

वांछित जानकारी अवलोकनार्थ हेतु सादर प्रस्तुत है।

3
7

(अभिजीत कुमार रंजन)
पुलिस अधीक्षक
जिला कटनी

प्रतिलिपि:-- पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला कटनी

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

अ.पु.म. (शिकायत)
पु.मु., भोपाल.

Scanned with CamScanner